क्र. सं.	शहर/राज्य का नाम	नदी
30.	छछरौली	यमुना
31.	रादौर	यमुना
32.	इन्द्री	यमुना
33.	घरौंदा	यमुना
34.	पलवल	यमुना
35.	गोहाना	यमुना
उत्तर प्रदेश		
36.	हरिद्वार-ऋषिकेश	गंगा
37.	कानपुर	गंगा
38.	इलाहाबाद	गंगा
39.	फर्रुखाबाद	गंगा
40.	वाराणसी	गंगा
41.	मिर्जापुर	गंगा
42.	मुगल सराय	गंगा
43.	गाजीपुर	गंगा
44.	सैदपुर	गंगा
45.	गंढ़मुक्तेश्वर	गंगा
46.	बिजनौर	गंगा
47.	चुनार	गंगा
48.	अनूपशहर	गंगा
49.	रानीपुर	गंगा
50.	जोशीमठ	गंगा
51.	गोपेश्वर	गंगा
52.	कर्णप्रयाग	गंगा
53.	रुद्रप्रयाग	गंगा
54.	बद्रीनाथ	गंगा
55.	श्रीनगर	गंगा
56.	देवप्रयाग	गंगा
57.	उत्तर-काशी	गंगा
58.	सहारनपुर	यमुना
59.	मुजफ्फरनगर	यमुना
60.	गाजियाबाद	यमुना
61.	नोएडा	यमुना
62.	वृंदावन	यमुना
63.	मथुरा	यमुना
64.	आगरा	यमुना
65.	इटावा	यमुना
66.	लखनऊ	गोमती
67.	सुल्तानपुर	गोमती
68.	जौनपुर	गोमती
पश्चिम बंगाल		
69.	बैरकपुर	गंगा
70.	बांसबेरिया	गंगा
71.	रिसरा	गंगा
72.	बैदयाबती	गंगा
73.	सरकुलर कैनाल	गंगा
74.	टाली का नाला	गंगा
75.	बजबज	गंगा
76.	बद्रेश्वर-चम्पादनी	गंगा
77.	नईहाटी	गंगा
78.	खार्दा (बढ़ावा गया)	गंगा
79.	गयासपुर, हालीशहर और कचनपारा	गंगा
80.	कोत्रानगर	गंगा
81.	उत्तरपाड़ा-कोट्रूंग	गंगा
82.	नार्थ बैरंकपुर	गंगा
83.	जीजगंज-अजीमगंज	गंगा
84.	डायमंड हार्बर	गंगा
85.	गरूलिया	गंगा
86.	काटवा	गंगा
87.	धुलियान	गंगा
88.	जंगीपुर	गंगा
89.	महेसतला	गंगा
90.	चकडाह	गंगा
91.	मुर्शिदाबाद	गंगा
92.	रानीगंज	दामोदर
93.	आसनसोल	दामोदर
94.	अन्दुल	दामोदर
95.	दुर्गापुर	दामोदर

Pollution of Ganga

1137. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the stretch of Ganga passing through Bihar has become very polluted:

(b) if so, the details thereof and the reasons for growing pollution of the river in the State; and

(c) the steps Government taken or propose to take to clean Ganga in Bihar?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Water quality monitoring data of the Ganga reveals that its water quality along the towns in Bihar is generally within the prescribed standards in respect of all parameters except the coliform bacteria. The values of coliform bacteria counts vary from 3,000 to 90,000 against the desired value of 500 (maximum). The violation in respect of coliform counts is due to the following reasons.

(i) unsatisfactory operation and maintenance of two sewage treatment plants in Patna and one in Bhagalpur constructed under the Ganga Action Plan;

(ii) delay in completion of two sewage treatment plants in Patna and one each in Chapra and Munger;

(iii) pollution of river from such non-point sources as cattle wallowing, dumping of unburnt/partly burnt dead bodies and run off from areas along the river used for open defecation, and

(iv) discharge of untreated sewage from the other 10 towns which have been taken under the second phase of the Ganga Action Plan.

(c) Pollution abatement works sanctioned in four towns under the Ganga Action Plan Phase-I for an amount of Rs. 57.29 crore are targetted for completion by 31.3.1998. Besides, 10 additional towns and additional works in the above four Ganga Action Plan Phase I towns have been sanctioned for taking up pollution abatement works at an estimated cost of Rs. 34.68 crore under the Ganga Action Plan Phase-II. Work under the Ganga Action Plan Phase II has begun. The programme is targetted for completion by 2001.

मध्य प्रदेश में बेलाडिला में वन रोपण

1138. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में बेलाडिला लौह अयस्क खनन परियोजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण करावाया जाना है,

(ख) उक्त परियोजना के अन्तर्गत वास्तव में कितने क्षेत्र में वन रोपण करवाया गया है और उक्त वनरोपण कितने एकड़ क्षेत्र के बनों को नष्ट करने की एवज में करवाया गया है,

(ग) इन क्षतिपूरक वन-रोपन क्षेत्रों का निरीक्षण और निगरानी मंत्रालय के प्राप्त अधिकारियों वारा किन किन तारीख को की गई तथा इस कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई, और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का मूख्य ब्यौरा क्या है, और

(घ) सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार उन लौह खदानों को बंद करने के संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास लि. बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के पक्ष में खनन पट्टों के नवीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत छह अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों में क्रमशः 1767.140 है., 309.34 है., 142.80 है., 506.742 है., 322.368 है. तथा 540.05 है. वन भूमि शामिल है। मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. के उपरोक्त प्रस्तावों के प्रति क्षतिपूरक वनीकरण उगाए जाने हेतु बस्तर जिले में पीना भीजी गांव में 380 है. क्षेत्र को अभिनिर्धारित किया है। परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूरक समीकरण की शर्त प्रस्ताव को मंजूर करते समय ही लगाई जाती है। अब तक, मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगण लि. बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के पक्ष में खनन पट्टों के नवीकरण हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्तावों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः इन मामपलों में क्षतिपूरक वनीकरण की शर्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के समय ही लगाई जाएगी।

(ग) मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. की ऊपर वर्णित परियोजनाओं के संबंध में शामिल वन क्षेत्र का निरीक्षक दिनांक 17 से 19 जून, 1997 तथा 6 सितम्बर, 97 को भोपाल में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय